राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर – 302005
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/जय/निविदा/2021/3086 दिनांक :– 31.10.22

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी एवं शर्तें

जयपुर जिले के सेज (कलवाडा) एवं रामनगरिया थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान खाली कराई गई बजरी **(जैसी हैं उसी स्थिति मे)** पडी हुई है। बजरी नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से दिनांक 11 नवम्बर 2022 (सायंकाल 5.00 बजे) तक निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैः–

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना/ अमानत राशि
1	सेज (कलवाडा)	200	2200
2	रामनगरिया	10	500

निविदा शर्तें :–

1. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार /विभाग द्वारा निविदा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
2. **जिला टास्क फोर्स, जयपुर द्वारा पुलिस थाना/चौकियों में पडी बजरी हेतु आरक्षित दर 550/–रू प्रति टन अनुमोदित की गई है।**
3. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। **लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए।** सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 11 नवम्बर 2022 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
4. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जयपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक थाना क्षेत्र/चौकी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।
5. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
6. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर मे की जा सकती है।
7. **सफल निविदादाता को बजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।**
8. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2022 को सांय 05.30 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को

आदेश प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को बजरी 15 दिवस में उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

9. सफल निविदादाता को सम्बन्धित थाना क्षेत्र/चौकी की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. निविदादाता को **एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड** एवं **पेन कार्ड** इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
11. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Taxअतिरिक्त जमा कराना होगा।
12. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
13. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
15. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन हेतु विभागीय रवन्ना जारी किये जायेगे।
16. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा बजरी की फोटो, वाहनो की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं उठाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
19. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
21. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
22. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
23. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो के अनुसार होगी।

(श्रीकृष्ण शर्मा)
खनि अभियन्ता जयपुर

क्रमांकः– खअ/जय/नीलामी/2021/ 3087-92

दिनांक 31.10.22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना सेज (कलवाडा) एवं रामनगरिया जयपुर।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर